प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या– 5449 /नौ–5–2019–31सा/2018

सेवा में,

1. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
2. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ.प्र.।

नगर विकास अनुभाग – 5

लखनऊ, दिनॉक 15 .01.2019

विषय : ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में श्रमिकों हेतु सुरक्षा उपकरणों का प्राविधान।

महोदय,

आप सभी को अवगत हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमावली–2016 के अनुरूप निकायों में अपशिष्ट का प्रबंधन सुनिश्चित किया जाना है। उपरोक्त के विषयगत शासन स्तर से सतत रूप से आपको पूर्व में भिज्ञ कराया जाता रहा है एवं राज्य द्वारा भी इस विषय में उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति 29 जून, 2018 को अधिसूचित की जा चुकी है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमावली–2016 एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति के अन्तर्गत यह प्राविधानित किया गया है कि अपशिष्ट का वैज्ञानिक रूप से ही निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा एवं यह भी प्राविधानित किया गया है कि ''ठोस अपशिष्ट परियोजना के अन्तर्गत सेनेटरी श्रमिकों हेतु आवश्यक औजारों व सामान सहित पर्याप्त सुरक्षात्मक वस्त्र एवं सुरक्षा उपकरणों के प्रावधान शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त स्थानीय नगरीय निकाय अपने सफाई कर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करायेंगे।'' कृपया उक्त प्राविधानों का अनुपालन निकाय स्तर पर सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

15.1.19

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 5449 /नौ–5–2019–31सा/2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी (प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय) उ0प्र0 ।
3. राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(शहरी), उ0प्र0।

आज्ञा से,

(अनुराग यादव)
सचिव।

Scanned by CamScanner